विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
2(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में मजदूरों की मजदूरी निर्धारण के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहाकार बोर्ड की सलाह ली जाती है ?	जी हॉ,
(ख) यदि हॉ, तो वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी सलाहाकार बोर्ड का गठन किया गया है ?	उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम की व्यवस्थानुसार दो वर्ष रखा गया है। विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड तथा समिति/उप समितियों की सलाह से ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 28-01-2014 द्वारा अंतिम बार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियागत है।
(ग) यदि हॉ, तो गठित बोर्ड का विवरण सदन की मेज पर रखेगें?	उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के गठन की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
(घ) न्यूनतम मजदूरी सलाहाकार बोर्ड को न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सलाह देने की समय सीमा निर्धारित की गई है?	न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिये सलाह देने की कोई समय-सीमा का निर्धारण नहीं है।
(ड) यदि हॉ, तो उक्त समय सीमा कितने दिनों की होती है?	प्रश्न ही नहीं उठता।
(च) यदि नहीं, तो क्यों ?	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत गठित सलाहकार बोर्ड को न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु अधिनियम में कोई समय- सीमा निर्धारित नहीं है।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग।